

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
----------------	------------------------------------

अदालत
हुक्म
में जा

11.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 13.8.25 को पेश हो।

13.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 18.8.25 को पेश हो।

18.8.25 पत्रावली आब पेश हुई। वकील डिडीदार अर्थात् (39) पत्रावली कु कुलखोड़ न (14) नफ पपरा डि सैन/म तहसीलदार रिपोर्ट में शामिल पत्रावली कु ख.न. 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 563, 564, 582, 987, 1209, 1237, 1328, 1332, 1552, 1553, 1554, 1556 कुल (19) कुल रकबा 46-19 बीघा 45 इम न्यायालय द्वारा मु.नं. 62/2017/2010 में निर्णय दिनांक 22.5.17 से विवादास्पद डिडी पारित की थी जिसकी धारणा हेतु जमीन/बाड़ी/किसानता द्वारा उपराय ज.फा पत्रावली कुल तहसीलदार ने नवा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 2/2/2024 अनुसार वर्ष 2017 में हुई कुल डिडी की धारणा/उपराय नवी खुलना से कुल क्षेत्र 2020 में ख.न. 384, 386, 387, 388, 389, 390 व 391 में से जमीन/बाड़ी रकबा

नम्बर
अहकाम
केरीख
जारी
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

द्वारा अपन फैल्ले 1/3 का बेचान कर
दिया जिनका नामान्तरकरण की. 1608
दि. 10.2.22 की फैल्ले हेकर बापाल
रिमाडि में नाम खानेदारान के नाम रूक
हो चुके है साथ ही अन्य दुमरी रजिस्ट्री
या बेचान के माध्यम से नामान्तरकरण
की. 1635 दि. 10.3.22 की फैल्ले हेकर
नाम खानेदारान के नाम रूक हो चुके
है एवं ख. नं. 1209, 1257, 1328, 1332,
1552, 1553, 1554, 1556, 563, 567,
582, 987 पर बेचान का नामान्तरकरण
की. 1647 दि. 17.6.22 फैल्ले हेकर
बापाल रिमाडि में अमल दरमद दिया
जा चुका है जिनमें उक्त डिही डिनांक
22.5.17 की अक्षरशः पालना दिया जाना
अभव नही है अतः डिही नैगम डिनांक
22.5.17 केबाद अथवा उक्त डिही की पालना
होने से पूर्व ही वागी/फाकारान द्वारा बेचान
करने से डिही की अक्षरशः पालना दिया
जाना अभव नही होने से यह उपराय प्र.
पर खासियत दिया जाना है परन्तु फिलहाल
दुमरी हेकर नम्बर से का होकर दालेल
अमल है।